मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

क्या श्रीलंका वैश्वीकरण मंत्र की कब्र बनेगा ? 2
शहर का कूड़ा उठाने में भी घोटाला 4
हिन्दू-मुस्लिम समस्या का मर्म 5
जुबैर को जेल में ही रखना चाहती है सरकार! 6
महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी भुला कर कांवड़ यात्रा में जुटी जनता 8

वर्ष 36 | अंक 36 | फरीदाबाद | 17-23 जुलाई 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

नगर निगम में बिना काम 200 करोड़ डकारने का कोई यही एक घोटाला नहीं, अनेकों भरे पड़े हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले कुछ माह से नगर निगम में हुए 200 करोड़ के एक घोटाले की चर्चा काफ़ी जोरों से चल रही है। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपये ऐसे कामों पर खर्च कर दिये गये हैं जो धरती पर हुए ही नहीं। यानी कि काम को केवल फाइलों में हुआ दिखा कर बिल पास कर दिये गये और बाद में दफ्तर में लगी आग में सब फाइलें जल गईं।

आपराधिक कहानीकार की दृष्टि से कहानी तो परफेक्ट क्राइम की बनाई गई थी। लेकिन कुछ पार्षदों ने कहीं-कहीं से उन फ़र्जी कामों के कुछ सबूत जुटा कर मामले को उछाल दिया। माल हड़पने वालों ने मामले को दबाने का प्रयास तो भरसक किया लेकिन मामला इतना भारी था कि वह कहीं न कहीं से तो बाहर झांकने लगता था। होते-होते मामला इतना बाहर निकल आया कि खट्टर सरकार को मजबूरन आपराधिक मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच विजिलेंस को देनी पड़ी।

अब विजिलेंस कोई ऐसी पुलिस तो है नहीं जो खट्टर के इशारों को न समझ पाती हो। जाहिर है कि विजिलेंस के हाथ भी उसी के गले तक पहुंच पायेंगे जिसकी अनुमति खट्टर जी देंगे। अभी तक मिली अनुमति के अनुसार विजिलेंस के हाथ केवल एक ठेकेदार सतवीर, दो चीफ़ इंजीनियरों दौलतराम भास्कर, रमण शर्मा व एक जेई दीपक को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मजे की बात तो यह है कि उक्त दोनों चीफ़ इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी, वहां पढ़कर डिग्री लेने की बात तो छोड़ ही दीजिये। ऐसे अनपढ़ व जाहिल चीफ़ इंजीनियरों को मैट्रो रेल वाले अथवा लार्सन एन्ड टूब्रो जैसे संस्थान अपने यहां जेई तो क्या बेलदार तक न लगाएं। जबकि नगर निगम में तो दीपक बेलदार होते हुए जेई का धंधा कर रहा था।

मंत्रीगण के साथ जश्न मनाते आरोपी चीफ इंजीनियर भास्कर एवं ठेकेदार सतबीर

उक्त घोटाला कोई एक दिन में अथवा किसी एक निगमायुक्त के कार्यकाल में तो हो नहीं गया था। यह कई वर्षों में हुआ है। इतनी बड़ी रकम दीपक जैसा जेई, सतवीर जैसा ठेकेदार तो अपने बूते हड़प नहीं सकता। इसके लिये ऊपर तक लगी इंजीनियरों की लाइन का शामिल होना जरूरी है। निगमायुक्त की मर्जी एवं साझेदारी के बिना ये तमाम इंजीनियर भी कुछ कर पाने की हैसियत नहीं रखते।

जाहिर है इस तरह के घोटालों में निगमायुक्त का शामिल होना निहायत जरूरी है। इतने भले तो यहां के विधायक, सांसद व मंत्री भी नहीं हैं कि जो चुपचाप औरों को मोटा माल डकारते हुए देखते रह जायें। इनकी मर्जी के बिना निगमायुक्त एक दिन भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह सकता। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि सबने मिल बांट कर जनता का धन डकारा है। अब देखना यह है कि खट्टर का हाथ कितनी गर्दनों को नापने की हैसियत रखता है?

मनोहर सरकार ने 'स्मार्ट सिटी' पर फ़िर थोपा एक अनपढ़ वरिष्ठ टाउन प्लानर

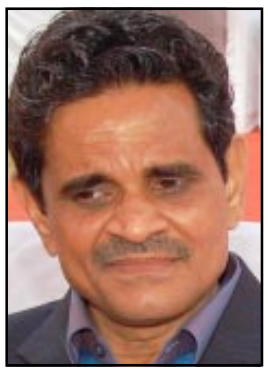

फ़रीदाबाद (म.मो.) लगता है मनोहर सरकार को पढ़े-लिखे आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरों से नफरत है। इसलिये स्थानीय नगर निगम में अनपढ़ लोगों को भर रखा है। इसी श्रंखला में बीते शुक्रवार आठ जुलाई को यानी दो साल पहले सेवा निवृत हुए ड्राफ्ट्समैन महिपाल को तीसरी बार सेवा विस्तार देकर शहर का वरिष्ठ योजनाकार नियुक्त कर दिया है।

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार खट्टर ने यह नियुक्ति निगमायुक्त यशपाल यादव के पुरजोर विरोध के बावजूद की है। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति खट्टर के सलाहकार अजय गौड़ द्वारा कराई गई है। समझने वाली बात यह है कि इस तरह की अनुचित एवं अवांछित नियुक्ति कराने के पीछे इस तथाकथित सलाहकार की क्या रुचि हो सकती है? यह रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि महिपाल सेवानिवृत होने के बावजूद भी इस पद से क्यों चिपका हुआ है? सभी जानते हैं कि यह पद मोटी लूट कमाई का स्रोत है। जाहिर है कि लूट कमाई का यह स्रोत मुफ्त में उसे अजय गौड़ दिलाने वाला है नहीं, इसकी वाजिब कीमत तो वह वसूलेगा ही। वैसे भी सर्व विदित है कि बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अजय गौड़ जैसे चले हुए कारतूसों से किसी प्रकार की सलाह की कोई दरकार नहीं होती। ऐसे लोग खट्टर के नाम पर अपनी दुकानदारी तो चलाते ही हैं लेकिन, स्मार्ट सिटी की आपदा झेलते नागरिक जानना चाहेंगे, क्या वे खट्टर के लिये भी आवश्यक उगाही करके उन तक पहुंचाते रहते हैं?

देश की लंका लगने वाली है

गिरीश मालवीय

लगातार बढ़ती मंहगाई श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देगी.....18 जुलाई से अनब्रांडेड प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल आटा, मैदा और सूजी, दाल, दही, गुड समेत अनेक खाद्य उत्पादों पर 5 फीसदी जीएसटी लगने जा रहा है।

23 मार्च 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा था कि जिन खाने-पीने की वस्तुओं पर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता है, उन्हें जीएसटी से अलग रखा जाएगा। लेकिन अब 2022 मे इस निर्णय को पूरी तरह से पलट दिया गया है.....

सरकारें जब भी कोई कर या कर सुधारों से जुड़ी व्यवस्थाएं लेकर आती हैं, तो उसे 'ग्लासनोस्त' और 'पेरेस्त्रोइका' के रूप में ही पेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ सालों बाद नजर आती है जैसा आज हमे जीएसटी के मामले में देखने को मिल रहा है।

अनब्रांडेड प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल खाद्यान पदार्थों पर जीएसटी लगाने के इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा इसे समझने का प्रयास करते हैं।

दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी अपना उत्पाद ऊंचे दाम पर रजिस्ट्रड ब्रांड से बेचती है। जबकि छोटे छोटे एमएसएमई या छोटी-छोटी आटा चक्की, अपना उत्पादन कम दाम व कम लाभ पर बेचती है। बड़े उद्योगपतियों की गुलाम मोदी सरकार को शायद यही बात अखर रही है।

पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने से कुटीर उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा। वह अब बड़े ब्रांड से मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

महंगाई तो बढ़ना तय है कि क्योंकि जीएसटी लगने से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाद्य वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कई एमएसएमई 5 प्रतिशत जीएसटी की वजह से बंद हो जाएंगे, जीएसटी की ऊंची टैक्स दरों के बाद बन्द होने का फायदा बड़ी कंपनियों को मिलगा और यही मोदी सरकार चाहती हैं।

साफ़ दिख रहा है कि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ने जा रही है।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) और अन्य खाद्यान्न संगठनों का मानना है कि देश के सभी बड़े ब्रांड की कंपनियां देश की आबादी का 15 प्रतिशत उच्चतम वर्ग, उच्च वर्ग एवं उच्च मध्य वर्ग के लोगों की ही जरूरतों की पूर्ति करती हैं, जबकि सभी राज्यों में छोटे निर्माता जिनका अपना लोकल लेबल का नेटवर्क होता है वे देश की 85 प्रतिशत आबादी की मांग को पूरा करते हैं। ऐसे में इन वस्तुओं के जीएसटी कर दायरे में आने से छोटे निर्माताओं व व्यापारियों पर टैक्स अनुपालन का बोझ बढ़ेगा। साथ ही दैनिक जरूरतों के सामान भी महंगे हो जाएंगे।

कैट का कहना है कि यह भी खेद की बात है कि देश में किसी भी व्यापारी संगठन से इस बारे में कोई परामर्श नहीं किया गया है।

सरकार के द्वारा इस प्री- पैकेज्ड व प्री लेबल शब्द के इस्तेमाल से लग रहा है कि किसान भी इस निर्णय से प्रभावित हो सकता है क्योंकि किसान भी अपनी फसल बोरे में पैक करके लाता है। तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा?